बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक–सं0स0–रे0 / यो0 (तसर) स्वीकृति–06 / 17 /401/ पटना, दिनांक– 28-03-18

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार(ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार *

विषय :– अनुसूचित जाति विशेष अंगीभूत योजना के तहत बाँका, जमूई एवं नवादा जिलों में तसर विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु वर्तमान वर्ष 2017–18 में रू0 3,83,98,000/–(तीन करोड़ तीरासी लाख अंठानवे हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनुसूचित जाति विशेष अंगीभूत योजना के तहत बाँका, जमूई एवं नवादा जिलों में तसर विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु वर्तमान वर्ष 2017–18 में रू0 3,83,98,000/–(तीन करोड़ तीरासी लाख अंठानवे हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि रू0 3,83,98,000/–(तीन करोड़ तीरासी लाख अंठानवे हजार) मात्र का व्यय मुख्यशीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0105 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना रेशम का विकास विपत्र कोड–23- 2851007890105 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 0105.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों का निर्माण मद से विकलित होगा। इसके लिए यथेष्ठ उपबंध उपलब्ध है।

3. उपर्युक्त स्वीकृत राशि की निकासी संलग्न विवरणी में अंकित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से अग्रिम के रूप में एकमुश्त की जाएगी।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी में बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 एवं 177 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5. इस योजना का कार्यान्वयन Manual of catalytic Development Programme (Centrally Sponsored Scheme), XII Five Year Plan (2012–17) के अनुसार किया जाएगा। लाभुक एवं सामग्री आपूर्तिकर्त्ता का भुगतान DBT के माध्यम से किया जाएगा। सामग्री का वितरण संबंधित जिले के महाप्रबंधक एवं पंचायत समिति द्वारा नामित सदस्य की उपस्थिति में किया जाएगा। साथ ही वितरण पंजी के संधारण के क्रम में लाभुकों का आधार संख्या दर्ज करना अनिवार्य होगा। लाभुक चयन एवं क्रय की जाने वाली सामग्रियों/उपकरणों का दर निर्धारण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। लाभुक सूची एवं Assets Register का संधारण कर प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में निदेशालय को हार्ड/सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराई जाएगी। सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार के प्रशिक्षण हेतु केन्द्रीय तसर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, नगरी, राँची से प्रशिक्षकों की प्रतिनियुक्त की जाएगी। प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगें वे इस योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे एवं कार्यान्वयन पदाधिकारियों से प्राप्त व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त कर महालेखाकार को भेजने हेतु विभाग को उपलब्ध कराएंगे।

7. यह राज्यादेश संचिका संख्या:–रे0/यो0 (तसर) स्वीकृति–06/17 के पृष्ठ 29/टि0 पर दिनांक 27.03.2018 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

8. इस राज्यादेश प्रारूप पर विभागीय माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

9. राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. वित्त विभागीय पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. इस योजना का Third Party Evaluation CTR&TI, Ranchi से कराया जाएगा।

अनु0:– संलग्न व्यय विवरणी (अनु0–1)

विश्वासभाजन,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. रे0/यो0 (तसर) स्वीकृति–06/17 1401 *पटना, दिनांक–* 28.03.18

प्रतिलिपि– व्यय विवरणी सहित कोषागार पदाधिकारी, बाँका, भागलपुर एवं नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. रे0/यो0 (तसर) स्वीकृति–06/17 1401 *पटना, दिनांक–* 28.03.18

प्रतिलिपि– व्यय विवरणी सहित सहायक उद्योग निदेशक (रे0), भागलपुर/अग्र परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र, श्यामबाजार, बांका/कौआकोल, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. रे0/यो0 (तसर) स्वीकृति–06/17 1401 *पटना, दिनांक–* 28.03.18

प्रतिलिपि– व्यय विवरणी सहित वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, ह0रे0, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, बाँका, नवादा एवं जमुई/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बाँका, नवादा एवं जमुई /योजना शाखा, उद्योग विभाग/बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूचित जाति विशेष अंगीभूत योजना के तहत् बांका, जमुई एवं नवादा जिलों में तसर रेशम विकास हेतु वर्तमान वर्ष 2017–18 में कार्यक्रमवार / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार स्वीकृत राशि की विवरणी

(राशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्यक्रम	इकाई	इकाई लागत (रु0)	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / कोषागार								कुल	
				सहायक उद्योग निदेशक (रे0), भागलपुर कोषागार– भागलपुर				अग्र परियोजना पदा0 अग्र परियोजना केन्द्र, श्यामबाजार, बाँका कोषागार– बांका		अग्र परियोजना पदा0 अग्र परियोजना केन्द्र, कोआकोल, नवादा, कोषागार– नवादा			
				बांका		जमुई		बांका		नवादा			
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	Support to rearers for augmentation of tasar plantation	Ha	40000			203	81.20					203	81.20
2	Support to Chawki Garden	Ha	6300			23	1.45					23	1.45
3	Reeling cum twisting machine	No.	47000	45	21.15	40	18.80					85	39.95
4	Motorized cum pedal operated spinning machine	No.	7000	30	2.10	10	0.70					40	2.80
5	Assistance to Pvt. Grainuers	No.	232000	25	58.00	5	11.60					30	69.60
6	Exposure visits for elite farmer and extension agent	No.	2000	350	7.00	100	2.00					450	9.00
7	Beneficiary Training for existing active farmer (15 days programme)	No.	Stipaind Rs. 100/day- 1500/- Refreshment Rs. 50/day- 750/- Training Material (Certificate, Documentation and other exp.)- Rs 450/- Honorarium for external trainer - Rs 300/- **Total Rs 3000/-**	375	11.25	155	4.65					530	15.90
8	Honorarium to para extension workers/resham mitra	No.	10000X12 Month	9	10.80	5	6.00					14	16.80
	Sub Total				**110.30**		**126.40**						**236.70**
	वन भूमि में लगाये गये तसर पौधों पर कीटपालन करने वाले कीटपालको की सहायता												
1	Assistance to Tasar Rearer	No.	2000	318	63.60	22	4.40	66	13.20	110	22.00	516	103.20
2	Assistance to Pvt. Grainuers	No.	232000	12	27.84	1	2.32	2	4.64	4	9.28	19	44.08
	Sub Total				**91.44**		**6.72**		**17.84**		**31.28**		**147.28**
	Total				**201.74**		**133.12**		**17.84**		**31.28**		**383.98**

(तीन करोड़ तेरासी लाख अन्ठानवे हजार)

सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

पजी के संधारण के रूप में ... सदस्य की उपस्थिति में किया ...